फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)

सरकार बनाम आसिफ उर्फ बादशाह व अनय
सेशन प्रकरण संख्या 04 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.2024	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मुलजिम सलमान उर्फ आमिर न्यायिक अभिरक्षा से अनुपस्थित, इसका केवल वारंट आया है। इसकी न्यायिक अभिरक्षा अवधि दिनांक 28.06.2024 तक बढ़ाई जाती है। मुलजिम सोनू उर्फ अफसर, राशिद उर्फ बिलोटा व फेसल पुत्र गुलाम पूर्व से ही मफरूर है। मुलजिमान मनीष सैनी, फरमान, उस्मान व साबिर अनुपस्थिति, जिनकी हाजरी माफी पेश हुई, जो जरिये अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई। मुलजिम ईश्वर योगी व आसिफ उर्फ बादशाह को जारी गिरफ्तारी वारंट इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुए हैं कि ये मुलजिमान दर्जशुदा पते से फरार चल रहे हैं एवं रूहपोश हुए है। तामिल कुनिन्दा भागचंद की साक्ष्य लेखबद्ध की गई, जिसने अपने साक्ष्य में इन दोनों मुलजिमान का गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी सकुनत से रूहपोश होना बताया है। इस न्यायालय के मत में मुलजिमान हस्तगत प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी सकुनत से रूहपोश हो गए हैं, जिनकी निकट भविष्य में गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। अतः मुलजिमान ईश्वर योगी व आसिफ उर्फ बादशाह को मफरूर घोषित किया जाता है। इन्हें जरिये स्थाई गिरफ्तारी वारंट से तलब किया जावे एवं धारा 82, 83 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। मुलजिमान मनीष जोगी पुत्र रंगनाथ मय अधिवक्ता उपस्थित। आरोप बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेज के आधार पर मुलजिम मनीष जोगी के विरूद्ध धारा 394, 395, 400, 120बी भारतीय दंड संहिता के आरोप बनना पाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुलजिम मनीष जोगी को इन धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन की प्रार्थना पत्र गवाह संख्या 1 व 2 को जरिये जमानती वारंट 2000 / – रूपये से तलब होकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 28.06.2024 को पेश हो। (संदीप आनन्द)	